संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
(छ.ग. विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 18/2008 द्वारा स्थापित)
E_Mail:- registrarsua@yahoo.co.in Phone:- 07774-222789, Fax:- 222791

क्रमांक– 198/परीक्षा/2025 **अम्बिकापुर, दिनांक, 01/08/2025**

प्रति,

01. प्राचार्य
समस्त सम्बद्ध शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय
संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)
02. समस्त विभागाध्यक्ष
विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग
संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.)

विषयः– शैक्षणिक संस्थाओं के विभिन्न पाठ्यक्रमों में विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षित सीट में से दो प्रतिशत तक सीट आरक्षित किये जाने विषयक।

संदर्भः– 01 छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय का अधिसूचना क्रमांक ए 13–8/2012/आ.प्र./2–3 नवा रायपुर दिनांक 18.06.2020।
02 क्र1827/699/आउशि/सम/2025 नवा रायपुर दिनांक 21.07.2025

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। उक्त पत्र में शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों (पहाड़ी कोरवा, बैगा, कमार, भुजिया, अबुझमाड़िया, पण्डो, बिरहोर) के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किये गये निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

(माननीय कुलपति जी द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव

पृष्ठांकन क्रमांक 199/परीक्षा/2025 अम्बिकापुर, दिनांक 01/08/2025

प्रतिलिपि :

1. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर जिला–सरगुजा (छ.ग.)
2. अपर संचालक, उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर जिला–सरगुजा (छ.ग.)
3. प्राचार्य, समस्त अग्रणी महाविद्यालय, जिला–सरगुजा, बलरामपुर–रामानुजगंज, सूरजपुर, कोरिया, जशपुर
4. वित्त अधिकारी, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर जिला–सरगुजा (छ.ग.)
5. सहायक कुलसचिव/विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी प्रशासन/अकादमिक/गोपनीय विभाग/ भण्डार, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर जिला–सरगुजा (छ.ग.)
6. प्रवेश प्रभारी, प्रवेश समिति संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर जिला–सरगुजा (छ.ग.)
7. व्यवस्थापक, एम.आई.सी.एस., भोपाल (म.प्र.)
8. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, विश्वविद्यालय शाखा, अम्बिकापुर जिला–सरगुजा (छ.ग.)
9. कार्यालयीन नस्ती।

उप कुलसचिव (परीक्षा)

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लॉक सी–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
(Email - highereducation.cga gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

क्रमांक 1827/699/आउशि/सम/2025 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21/7/25

प्रति,

कुलसचिव
समस्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ
प्राचार्य
समस्त महाविद्यालय छत्तीसगढ

विषय :– शैक्षणिक संस्थाओं के विभिन्न पाठ्यक्रमों में विशेष रुप से पिछडी जनजातियों के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षित सीट में से दो प्रतिशत तक सीट आरक्षित किये जाने विषयक।

संदर्भ :– छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मन्त्रालय का अधिसूचना क्रमांक एफ 13–8/2012/आ.प्र./2–3 नवा रायपुर दिनांक 18.06.2020।

*****

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। उक्त पत्र में शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु विशेष रुप से पिछडी जनजातियो के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किये गये निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।
(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

447/E/K
30/7/2025

कुलसचिव कार्यालय
आवक/प्रावक
क्र. 203 दिनांक 23/7/25

समस्त महाविद्यालय को
सूचित करें

28/07/25

श्री कृष्णा श्रीवास्तव

समस्त महाविद्यालय को पत्र द्वारा सूचित करें।

29/07/25

D:\PRAVEEN LETTER 2025\Letter 2025 docx

पंजी क्रमांक 9117
दिनांक 2/9/2020
चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय

(1)

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला—रायपुर

क्रमांक एफ 13-8/2012/आ.प्र./1-3 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 18/6/2020

प्रति

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी/मछली पालन/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/तकनीकी शिक्षा विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।

आवक क्रमांक TL-98
दिनांक 01.07.2020

02-9-20

विषय — शैक्षणिक संस्थाओं के विभिन्न पाठ्यक्रमों में विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षित सीट में से दो प्रतिशत तक सीट आरक्षित किए जाने बावत्।

संदर्भ — इस विभाग का समसंख्यक निर्देश दिनांक 11.11.2019

कृपया इस विभाग के संदर्भित निर्देश का अवलोकन करें। संदर्भित निर्देश में यह लेख किया गया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद् की बैठक दिनांक 27.8.2019 के कार्यवाही विवरण के एजेण्डा क्रमांक—4 के बिन्दु क्रमांक (2) में लिए गए निर्णय के अनुक्रम में शैक्षणिक संस्थाओं में विभिन्न पाठ्यक्रमों यथा आई.टी.आई., कृषि, मत्स्य, स्वास्थ्य, पॉलिटेक्निक आदि में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित सीट में से दो प्रतिशत तक सीट विशेष रूप से कमजोर जनजाति वर्गों के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रखी जाए। इस संवर्ग के आवेदन अप्राप्त रहने पर अन्य अनुसूचित जनजाति संवर्ग से भरे जायेंगे। उक्त प्रावधान को वार्षिक रखा जावे।

2/ इस विभाग के ध्यान में यह बात लाई गई है कि संदर्भित निर्देश के संबंध में जनजाति सलाहकार परिषद् का आशय यह था कि राज्य की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति समूह की जनसंख्या लगभग 02 प्रतिशत है। अतः इस अनुपात में उनके लिए 02 प्रतिशत का विशेष आरक्षण दिया जाये। वर्तमान में प्रचलित पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु अनुसूचित जनजातियों के लिये 32 प्रतिशत सीटें आरक्षित है। अतः लिये गये निर्णय अनुसार 30 प्रतिशत सीटें अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिये तथा 02 प्रतिशत सीटें विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति समूहों के लिये होंगी तथा विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति समूह के आवेदन अप्राप्त रहने पर अन्य अनुसूचित जनजाति संवर्ग से उक्त सीटें भरी जायेंगी।

3/ कृपया उपरोक्त स्पष्टीकरण अनुसार आपके विभाग के अधीनस्थ शैक्षणिक संस्थाओं में लिए गए निर्णय का कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

17/6/20

(सायुम खेस्स)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमशः 2

22/12/2020

11/12/2020
SO(M)

छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर–492002

क्रमांक: 2886/आर–1598/2023/पचपन, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक: 07 AUG 202

प्रति,

आयुक्त,
चिकित्सा शिक्षा,
सेक्टर–19, स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ।

विषयः– छत्तीसगढ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2012 के संबंध में।
संदर्भः– आपका पत्र क्रं. 7857/छात्र/काउंसलिंग/रांचिशि/2023, दिनांक 07.08.2023।

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र में आपके द्वारा चाही गई अनुमति/मार्गदर्शन के परिप्रेक्ष्य में प्रवेश वर्ष 2023 में चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रमों की काउंसिलिंग व प्रवेश प्रक्रिया में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 13–1/2023/आ.प्र./1–3, दिनांक 07.08.2023 द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार छत्तीसगढ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2012 के अनुरूप आरक्षण व्यवस्था (कुल 58%– 12% अनुसूचित जाति, 30% अनुसूचित जनजाति, 02% विशेष पिछडी अनुसूचित जनजाति, 14% अन्य पिछडा वर्ग) के अनुसार किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(जनक कुमार)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

पृ.क्रं.:: 2887/आर–1598/2023/पचपन, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक: 07 AUG 202

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, सेक्टर–19, स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

Scanned with OKEN Scanner